संख्या:-643/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः** 27-05-2026

विषयः राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित आपदा नियंत्रण केन्द्र के सुदृणीकरण व सुगम संचालन, टेलीफोन एवं सी०यू०जी नम्बरों के बिलों के भुगतान तथा एस०एम०एस० सर्विस, सिक्यूरिटी ऑडिट एवं आधार ऑथेन्टिकेशन पर होन वाले व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- संख्या-10063/रा०आ०का०/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2026-27, दिनांक13.05.2026, पत्र संख्या-10094/रा०आ०का०/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2026-27,दिनांक 21.05.2026 एवं पत्र संख्या-10111/रा०आ०का०/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2026, दिनांक 27.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित आपदा नियंत्रण केन्द्र के सुदृणीकरण व सुगम संचालन, टेलीफोन एवं सी०यू०जी नम्बरों के बिलों के भुगतान तथा एस०एम०एस० सर्विस, सिक्यूरिटी ऑडिट एवं आधार ऑथेन्टिकेशन पर होन वाले व्यय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 2,32,75,776/- (दो करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रूपये मात्र) की धनराशि का बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(1) राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) के सुगम संचालन हेतु आवश्यक सेवाओं पर होने वाला वार्षिक व्यय-

क्र०सं०	व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू०)
1	इन्टरनेट नेटवर्क के लिए ब्राडबैंड कनेक्शन पर होने वाला व्यय	80,000/-

2	लीज लाइन पर होने वाला व्यय।	80,000/-
3	10 टेलीवीजन सेट हेतु डी०टी०एच० सेवा।	50,000/-
4	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग करने हेतु साफ्टवेयर / जूम ऐप की सेवा।	1,75,000/-
5	कट्रोलरूम हेतु आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकापियर आदि की खरीद तथा इनके संचालन व अनुरक्षण पर होने वाला अन्य व्यय।	25,00,000/-
6	टोलफ्री न0 1070 पर 24X7 संचालित कॉल सेन्टर संचालन पर होने वाला वार्षिक व्यय।	95,98,776/-
	कुल धनराशि	**1,24,83,776/-**

(2) राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित ई0ओ0सी0 में पी०आर०आई० लाइन व सी०यू०जी० नम्बरों के बिलों के भुगतान पर होने वाला वार्षिक व्यय-

क्र०सं०	टेलीफोन न०	मासिक भुगतान की जाने वाली धनराशि (लगभग) रूपये	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू०)
1	0522-2217721 (1070 पी०आर०आई० लाइन)	16,000/-	1,92,000/-
2	1801-180-5222 (सी०यू०जी)	7,50,000/-	90,00,000/-
		कुल धनराशि	**91,92,000/-**

(3) राहत पोर्टल के माध्यम से एस०एम०एस० सर्विस, सिक्यूरिटी ऑडिट एवं आधार ऑथेन्टिकेशन पर होन वाले व्यय

क्र०सं०	व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू०)
1	राहत पोर्टल के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर एस०एम०एस० एलर्ट भेजने हेतु एस०एम०एस० सर्विस।	3,00,000/-
2	राहत पोर्टल के विभिन्न माड्यूल में नागरिकों के आधार	8,00,000/-

	व फैमिली आई०डी० ऑथेन्टिकेशन हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि० को किया जाने वाला भुगतान।	
3	राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के सिक्यूरटी ऑडिट एवं एस०एस०एल० सर्टीफिकेट पर किया जाने वाला व्यय।	5,00,000/-
	कुल धनराशि	**16,00,000/-**

महायोग- (रू0 1,24,83,776+रू0 91,92,000+रू0 16,00,000)= रू0 2,32,75,776.00

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित आपदा नियंत्रण केन्द्र के सुदृणीकरण व सुगम संचालन, टेलीफोन एवं सी०यू०जी नम्बरों के बिलों के भुगतान तथा एस०एम०एस० सर्विस, सिक्यूरिटी ऑडिट एवं आधार ऑथेन्टिकेशन पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु उपरोक्त विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि **रू0 2,32,75,776/- (दो करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रूपये मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा।

यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 2,32,75,776/- (दो करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रूपये मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 27-05-2026
19:47:08

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या:-643(1)/एक-10-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0

शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

–

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-28/05/2026

प्रेषण संख्या:- 643
आवंटन आदेश संख्या:- 001-643
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	23275776 23275776	23275776 23275776
	योग	वर्तमान प्रगामी	23275776 23275776	23275776 23275776

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी